

प्रार्थनापत्र

103/2016



आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

07-218 वकील आपपक्ष उपा. शेष  
अपार्थीगण का जवाब पेश हो हेतु  
दिनांक 15-3-18 को पेश हो तब तक पूर्व  
आदेश प्रभावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

15-3-18 वकील आपपक्ष उपा.  
जवाब पेश पत्रा व पुनः तत्पक्ष शेष  
अपार्थीगण पेश करने को आ.  
हित के लक्ष्य दिनांक 25-4-18 को पेश हो तब  
तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

25-4-18 अनुलग्न उपा. जवाब  
प्राप्त व पुनः तत्पक्ष शेष  
अपार्थीगण पेश करने को  
अप्राप्त हे पुनः अतिरिक्त भवता  
पाए। तब पत्रावली उपा.  
आदेश की पालना में दिनांक  
25-6-18 को पेश हो तब तक  
पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी

25-6-18 पत्रावली राजस्थान विराटनगर (जयपुर)  
लोक अदालत व्याप आदेशों का  
2018 कैम्प धीरे धीरे में पेश  
हुए। पक्षकार उपा. उपा.  
पक्षकार को पुनः गवा  
नया पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। अतः मूल वाद के



माला शर्मा

वकील

सिंह



फर्द अहकाम

भूसाधन क्र. 1/बनाम कपड़ें कोरू

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

केस संख्या विराटनगर (जयपुर)

103/2016 प्राप्ति फस

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष दि
		<p>वर्षों पर प्रकृण के व्याप पूर्ण निस्तान नक दोनों पक्षों को ना फैलाता मूल कार-अस्थापी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूकिएन-2753/0-192 2754/0-86 हो वकि गाठ धीनेली नहलीत विमरुम की कोका व राजस्व रिकार्ड की थप्यांस्थिति बनाये रहे, प्रकृण फैसल युम्य होका नक से कतये निर्णय मजमा ए आत कैम्प धीनेली में सुनाया गया।</p>	
		<p>पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)</p>	

